न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय खण्डेला
उनवान : फूलाराम वगैरह बनाम प्रभात वगैरह 251(A)
मु० नं० 30/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
28/11/19	पत्रावली वास्ते आदेश आज पेश हुई। प्रकरण में बहस वकलाय उभय पक्ष पूर्व में सुनी जा चुकी है। दरवक्त बहस वकील प्रार्थी ने अपने प्रा० पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार खण्डेला रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया तथा वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रा० पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रा० पत्र खारिज फरमाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड एवं तहसीलदार खण्डेला से प्राप्त रिपोर्टों का अवलोकन किया गया। चूंकि तहसीलदार खण्डेला द्वारा प्रकरण में दो बार प्रेषित रिपोर्टों में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत/प्रस्तावित रास्ते को ही निकटतम एवं लघुतम रास्ता माना है। अतः अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत एतराज प्रा० पत्र तहसीलदार रिपोर्ट देरिना खारिज करने काबिल पाया जाने पर खारिज किया जाता है। प्रार्थी द्वारा अपनी कृषि जोत में आवागमन हेतु जिस प्रस्तावित रास्ते की मांग की है, उसके संबंध में तहसीलदार खण्डेला से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तावित रास्ता ही निकटतम एवं लघुतम रास्ता है। तहसीलदार खण्डेला ने अपनी रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी की कृषि जोत में आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होना भी अभिव्यक्त किया है। Sd/-	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	अतः उक्त तथ्यों के आलोक में एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के वृहद उद्देश्यों की पूर्ति में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि :—

निर्णय

तन ग्राम कोटड़ी लुहारवास तहसील खण्डेला जिला
सीकर (राज०) अवस्थित कृषि भूमि ख० नं० 2717
रकबा 1.25 है० में आवागमन हेतु ख० नं० 2698
की उत्तरी सीमा के सहारे-सहारे व पूर्वी सीमा
के सहारे (68 मीटर × 4 मीटर) कुल 272 वर्गमीटर
भूमि गै० मु० सिवायचक (सार्वजनिक) रास्ता दर्ज
किया जावे। अप्रार्थी सं० 1 द्वारा उक्त ख० नं० 2698
पर प्रार्थना-पत्र दायरी के उपरान्त बड़ौदा राजस्थान
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कोटड़ी लुहारवास
से बैंक ऋण प्राप्त किया है। अतः उक्त ख० नं०
2698 में से उक्त रास्ते पेटे आई भूमि 272
वर्गमीटर पर से बैंक रहन मुक्त करते हुए
तथा शेष भूमि पर बैंक रहन यथावत रखते
हुए उक्तानुसार रास्ता दर्ज किया जावे। तहसीलदार खण्डेला उक्त रास्ते पेटे आई 272
वर्गमीटर भूमि की वर्तमान डी० एल० सी०
दर की दोगुनी राशि से आंकलन कर आंकलित राशि राजकोष में जमा ली जाकर
उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज
करावें। उक्त रास्ता पूर्णतः सार्वजनिक
उपयोग - उपभोग का रहेगा। उक्तानुसार
राजस्व रेकार्ड में रास्ता दरान हेतु तहसीलदार खण्डेला को तहरीर आदेश जारी
हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से
कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)